प्रोजेक्ट बनने के तीन माह में ही करनी होगी रजिस्ट्री

रेरा ने जारी किया निर्देश, तीन माह में सोसाइटी का करना होगा गठन, एक माह में फ्लैट मालिकों को उपलब्ध कराने होंगे जरूरी दस्तावेज

राज्य ब्यूरो, पटना : अब किसी भी अपार्टमेंट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पूरा होने के तीन माह के अंदर सभी फ्लैट की रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। तीन माह के अंदर ही फ्लैट मालिकों को सोसाइटी का भी गठन करना होगा। रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने इससे जुड़ा निर्देश जारी किया है। ऐसा न करने पर बिल्डर के साथ फ्लैट खरीदने वालों को भी जुर्माना देना पड़ सकता है।

रेरा ने बिल्डरों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रोजेक्ट के पूरा होने के 30 दिनों के अंदर सभी फ्लैटधारकों को प्रोजेक्ट से जुड़ा प्लान, इंश्योरेंस पेपर, कॉमन एरिया की जानकारी आदि के साथ अन्य दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाए। समय-सीमा के पालन से सरकार का राजस्व बढ़ेगा ही, बिल्डर की मनमानी पर भी रोक लगेगी।

30 अप्रैल तक मांगा प्रोजेक्ट का हिसाब

रेरा ने ऐसे सभी बिल्डरों और डेवलपर्स से 30 अप्रैल तक अपने पूरे हो चुके या होने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी है। बिल्डरों को निर्देश दिया गया है कि कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी होने के तीन माह के अंदर फ्लैट की रजिस्ट्री अवश्य कर ली जाए। निर्देश न मानने वाले बिल्डरों पर पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत का पांच से 10 फीसद तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner